

पत्रावली
23/11/2021

"प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब	प्रतिवादी
जगदीप पुत्र सुकाया शुक्ल पामडी	नी म	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत

वाद-पत्र नम्बर 168 / 2021 GCMS No. 2021/887

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इन्लियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

23/11/2021

वादी श्री जगदीप पुत्र सुकाया
जाति शुक्ल निवासी पामडी द्वारा आज "प्रशासन
गांवों के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत मन्साप
में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत 2074-77
ग्राम पामडी पटवार मण्डल मन्साप के खाता
नम्बर 11 मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि
जगदीप पुत्र सुकाया
दर्ज है, जो अशुद्ध है।
वादी का शुद्ध नाम जगदीप पुत्र सुकाया
है, तथा इसी अनुसार
राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है।
जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न.
60839650057 आधार नम्बर 685825214760
मतदाता पहचान पत्र 68R/152524 अन्य दस्तावेज -
की छाया प्रति प्रस्तुत की है।
इस संबंध में हल्का पटवारी मन्साप भू.अ.नि मन्साप
एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट
तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं
प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की है।
अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार
राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये
जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर
हो।

731-733

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

